

भारतीय रिज़र्व बैंक

गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग

कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय

RESERVE BANK OF INDIA

DEPARTMENT OF NON-BANKING SUPERVISION

KOLKATA REGIONAL OFFICE



पंजीकरण प्रमाण पत्र

CERTIFICATE OF REGISTRATION

(जनता की जमा राशियां स्वीकार करने के लिए वैध नहीं)

(Not valid for accepting Public Deposits)

संख्या

No. B.05.03460

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 झ क के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजाव ट्रेडिंग एंड होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड को

दूसरी तरफ दी गयी शर्तों पर जनता से जमा राशियां स्वीकार किये बिना गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार आरंभ करने / करते रहने के लिए यह

पंजीकरण प्रमाण पत्र

जारी किया गया।

In exercise of the powers conferred on the Reserve Bank of India by Section 45 IA of the Reserve Bank of India Act, 1934

RAJEEV TRADING AND HOLDINGS PRIVATE LIMITED

is hereby granted

Certificate of Registration

to ~~carry on~~ carry on the business of non-banking financial institution without accepting public deposits subject to the conditions given on the reverse.

मेरे हस्ताक्षर के अधीन कोलकाता में दो हजार एक के ^{जुलाई} की ^{उन्नीस} तारीख को जारी किया गया।

Given under my hand at Kolkata

this Nineteenth day of July Two Thousand One.



(महा प्रबंधक / उप महा प्रबंधक)

General Manager / Deputy General Manager